

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर




वादी
रामूराम पुत्र गणपतराम जाति रेबारी
निवासी भैरूपुरा


प्रतिवादीगण
1.हरजीराम पुत्र गणपतराम जाति रेबारी वगैरह
भैरूपुरा

A/3

दावा - इस्तकरार हक व खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88,188 R.T.Act 1955

राजस्व वाद मु.नं 38/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
10.06.15	<p>यह वाद पत्र वादी द्वारा इस्तकरार हक व खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88,188 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.06.2015 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	
28/6	<p>प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित, विपक्षी उपस्थित /अनुपस्थित । प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनो पक्ष सहमत है अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है पक्षकारान दिनांक.....<u>30/6</u>.....को लोक अदालत के ममक्ष उपस्थित रहें ।</p>	
30/6	<p>पक्षकारान उप./अनु.उप./वकीलप्रार्थि/ अप्रार्थी उप./अनु.। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी । पक्षकारान में समझाइस की गई । परन्तु राजीनामा नहीं हुआ । अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जावे ।</p>	
28/15	<p>वकील वादी एवं पक्षकारान उपर प्राथमिक पत्रावली वाद को लौटने (डिपॉजिट) वाली का डिपॉजिट पत्रावली के राजीनामा होने के वारी का वद लौटने डिपॉजिट वाली किता पाता है । किता नष्ट के वारी का वद लौटने डिपॉजिट वाली की।</p>	<p style="text-align: right;"> 30/6 28/15</p> <p style="text-align: right;"> 30/6 28/15</p>


**उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)**